अध्याय 2
प्रशासन

धारा 3 : इस अधिनियम के अधीन अधिकारी

सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित वर्गों के अधिकारियों को नियुक्त करेगी, अर्थात् :

(क) केन्द्रीय कर प्रधान मुख्य आयुक्त या केन्द्रीय कर प्रधान महानिदेशक;

(ख) केन्द्रीय कर मुख्य आयुक्त या केन्द्रीय कर महानिदेशक;

(ग) केन्द्रीय कर प्रधान आयुक्त या केन्द्रीय कर प्रधान अपर महानिदेशक;

(घ) केन्द्रीय कर आयुक्त या केन्द्रीय कर अपर महानिदेशक;

(ड.) केन्द्रीय कर अपर आयुक्त या केन्द्रीय कर अपर निदेशक;

(च) केन्द्रीय कर संयुक्त आयुक्त या केन्द्रीय कर संयुक्त निदेशक;

(छ) केन्द्रीय कर उपायुक्त या केन्द्रीय कर उपनिदेशक;

(ज) केन्द्रीय कर सहायक आयुक्त या केन्द्रीय कर सहायक निदेशक; और

(झ) अधिकारियों का कोई अन्य वर्ग, जो वह ठीक समझें :

परन्तु केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त अधिकारी समझा जाएगा।